रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

विषय : इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में एमएसएमई की सहायता के लिए योजना ।

1. उद्देश्य:

सं.डब्ल्यू-36/1/2013-आईपीएचडब्ल्यू.—इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में एमएसएमई की सहायता के लिए योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देने, भारतीय विनिर्माण में गुणवत्ता लाने और निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता देना है । इस योजना के अंतर्गत यह सहायता एमएसएमई क्षेत्र के विनिर्माताओं को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी । सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की योजना से इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में विनिर्माताओं, घरेलू उद्योग, निर्यातकों को लाभ मिलने की संभावना है । इस योजना में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा :

(i) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए "भारतीय मानकों" का अनुपालन करने के लिए होने वाले इलेक्ट्रॉनिक माल से व्यय की प्रतिपूर्ति ।

(ii) निर्यात के लिए अपेक्षित परीक्षण और प्रमाणन के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों का विकास ।

2. (i) "भारतीय मानकों" का अनुपालन करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति :

कुल उपलब्ध अनुदान : एक मॉडल के लिए कुल सहायता अनुदान केवल 1 लाख रुपए तक सीमित है । योजना के इस भाग के अंतर्गत उपलब्ध कुल सहायता अनुदान 200 मॉडलों (अधिकतम) के लिए 2 करोड़ रुपए है ।

प्रयोजन :अधिसूचित वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित भारतीय मानकों का अनुपालन करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ।

पात्रता : भारत में पंजीकृत सभी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम जैसा कि एमएसएमई विकास अधिनियम में परिभाषित है, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

वित्तीय सहायता : इस योजना में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित भारतीय मानकों का अनुपालन करने के लिए एमएसएमई को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे :

क) एसटीक्यूसी प्रयोगशाला द्वारा लिए जाने वाले परीक्षण प्रभार की विद्यमान दरों के अनुसार वास्तविक परीक्षण प्रभार की प्रतिपूर्ति करना जो एसटीक्यूसी प्रयोगशालाओं में उत्पादों का परीक्षण कराने के लिए हुए परीक्षण प्रभार के तहत होगा (आरम्भिक पंजीकरण के लिए तथा चौकसी के दौरान)। योजना के अंतर्गत अधिकतम प्रतिपूर्ति 75000/-रुपए (अधिकतम) तक सीमित होगी।

ख) पंजीकरण के लिए बीआईएस द्वारा लिए गए वास्तविक परीक्षण प्रभार की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 25000/-रुपए)।

ग) विनिर्माता को अधिकतम पांच मॉडलों के लिए अनुदान दिया जाएगा।

कार्यान्वयन : सहायता अनुदान के प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सीधे ही प्राप्त किए जाएंगे। निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अनुदान दिया जाएगा :

क) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

ख) बीआईएस द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से उत्पाद/मॉडल का परीक्षण कराने के लिए परीक्षण प्रभार के भुगतान की रसीद।

ग) जिस मॉडल के लिए सहायता अनुदान लिया जा रहा है उसके बीआईएस के पास सफल पंजीकरण का प्रमाण।

घ) बीआईएस के साथ पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।

ङ) इस आशय का शपथ-पत्र कि भारतीय मानकों का अनुपालन करने के लिए लिया गया अनुदान वास्तव में उस प्रयोजन से खर्च किया गया है।

च) कोई अन्य दस्तावेज जो समय-समय पर अपेक्षित हो।

2.(ii) निर्यात के लिए अपेक्षित परीक्षण और प्रमाणन के व्यय की प्रतिपूर्ति:

कुल उपलब्ध अनुदान: इस योजना के अंतर्गत एक मॉडल के लिए कुल सहायता अनुदान 1.25 लाख रुपए (अधिकतम) है। योजना के इस भाग के अंतर्गत 800 मॉडलों (अधिकतम) के लिए उपलब्ध कुल सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए (अधिकतम) है।

प्रयोजन : निर्यात के लिए अपेक्षित परीक्षण और प्रमाणन के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति।

पात्रता : भारत में पंजीकृत सभी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम जैसा कि एमएसएमई विकास अधिनियम में परिभाषित है, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

वित्तीय सहायता : क्रेता देशों के विनियमों/मानदण्डों का अनुपालन करने के लिए योजना के अंतर्गत एमएसएमई को निम्नलिखित सहायता अनुदान दिया जाएगा:—

क) देश/विदेश में स्थित किसी भी प्रयोगशाला से उत्पादों का परीक्षण कराने के लिए हुए परीक्षण प्रभार की प्रतिपूर्ति जो एसटीक्यूसी प्रयोगशालाओं द्वारा लिए जाने वाले परीक्षण प्रभार की विद्यमान दरों के अनुसार एसटीक्यूसी प्रयोगशालाओं में उत्पादों का परीक्षण कराने के लिए हुए परीक्षण प्रभार के तहत होगा। योजना के अंतर्गत अधिकतम प्रतिपूर्ति 75000/-रुपए (अधिकतम) तक सीमित होगी।

ख) किसी प्रमाणन निकाय (घरेलू/विदेशी) को प्रति मॉडल प्रदत्त वार्षिक प्रमाणन शुल्क के लिए 25% प्रभार की वास्तविक प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते :

- एक मॉडल के लिए 50,000/-रुपए (अधिकतम)।
- अधिकतम दो प्रमाणन।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक मॉडल केवल एक बार पात्र होगा।

कार्यान्वयन : सहायता अनुदान के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा सीधे ही प्राप्त किए जाएंगे । निम्नलिखित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुदान दिए जाएंगे :

क) डीईआईटीवाई द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन।

ख) परीक्षण के भुगतान की पावती।

ग) निर्यात के प्रयोजन से प्रमाणन निकाय को प्रदत्त प्रमाणन शुल्क की पावती।

घ) उस मॉडल के निर्यात का प्रमाण जिसके लिए सहायता अनुदान लिया जा रहा है ।

ङ) इस आशय का शपथ पत्र कि भारतीय मानकों के अनुपालन के संबंध में लिए गए अनुदान को वास्तव में इस प्रयोजन से खर्च किया गया है।

च) समय-समय पर आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

2. (iii) एमएसएमई द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टरों का विकास:

उपलब्ध कुल अनुदान : क्लस्टरों के विकास की योजना के इस भाग के अंतर्गत उपलब्ध कुल सहायता अनुदान 2 करोड़ रुपए है। 20 क्लस्टरों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए/क्लस्टर (अधिकतम) का सहायता अनुदान उपलब्ध होगा ।

प्रयोजन : नैदानिक अध्ययन, संबद्ध कार्यकलापों तथा डीपीआर आदि तैयार करने के लिए खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति।

पात्रता : इस प्रयोजन से सहायता अनुदान स्थानीय औद्योगिक संघ या राज्य सरकार की एजेंसी या विशेष प्रयोजनमूलक व्हीकल (एसपीवी) को उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्तीय सहायता : इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड ईएमसी और ब्राउनफील्ड ईएमसी को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे :

क) प्रत्येक क्लस्टर के नैदानिक अध्ययन के लिए-2.5 लाख रुपए/क्लस्टर (अधिकतम)।

ख) संबद्ध कार्यकलापों के लिए भारत सरकार का अनुदान डीपीआर में परियोजना लागत की स्वीकृत राशि का 75% होगा। सहायता अनुदान 2.5 लाख रुपए/क्लस्टर (अधिकतम) के तहत होगा।

ग) डीपीआर के लिए 5 लाख रूपए/क्लस्टर (अधिकतम)

कार्यान्वयन

क) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा अनुदान राशि के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में सीधे प्राप्त किए जाएंगे।

ख) ईएमसी योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों को जांच के लिए डीईआईटीवाई द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा। आवश्यक होने पर आवेदक संगठन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेंगे। संगठनों को समिति द्वारा मांगे गए अनुसार सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रयोजन से गठित संचालन समिति आवेदनों पर विचार करेगी और सैद्धांतिक अनुमोदन देगी। सैद्धांतिक अनुमोदन के 6 महीनों के अंदर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

ग) नैदानिक अध्ययन के लिए स्वीकृत राशि का 50% सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद और शेष 50% राशि रिपोर्ट के स्वीकृत होने के बाद ही दी जाएगी।

घ) संबद्ध कार्यकलापों के लिए भारत सरकार का अनुदान, परियोजना की लागत की स्वीकृत राशि का 75% होगा। संबद्ध कार्यकलापों के लिए डीपीआर में स्वीकृत सहायता अनुदान राशि की 50% राशि सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी और शेष 50% राशि रिपोर्ट के अंतिम अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी बशर्ते उन्होंने व्यय का अपना अंश खर्च किया हो। इसमें तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, जानकारी प्राप्त करने संबंधी दौरे, बाजार का विकास, विश्वास पैदा करना, जागरूकता, परामर्श, सेमिनार,कार्यशालाएं, प्रौद्योगिकी संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसे संबद्ध कार्यकलाप शामिल हैं।

ड.) डीपीआर के लिए अनुदान निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर दिया जाएगा :

i) क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से आरंभिक व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) समिति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण पाए जाने पर और डीईआईटीवाई की संचालन समिति के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने पर सहायता अनुदान की 20% राशि दी जाएगी।

ii) सहायता अनुदान की 30% राशि तब दी जाएगी जब क्लस्टर के लिए संचालन समिति द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जाएगा ।

iii) सहायता अनुदान की 50% राशि तब दी जाएगी जब सैद्धांतिक अनुमोदन के 6 महीनों के भीतर डीपीआर को अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा ।

अपेक्षित दस्तावेज़

क) डीईआईटीवाई के निर्धारित प्रारूप में आवेदन

ख) डीपीआर के सैद्धान्तिक अनुमोदन की प्रतिलिपि

ग) डीपीआर के अंतिम अनुमोदन की प्रतिलिपि

घ) प्रत्येक क्लस्टर का नैदानिक अध्ययन करने, संबंद्ध कार्यकलापों जैसे कि जागरूकता, परामर्श, सेमिनारों, कार्यशालाओं, ईएमसी क्लस्टर के मामले में प्रौद्योगिकी संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डीपीआर तैयार करने के लिए दिए गए प्रभार के बिल ।

ङ) संबद्ध कार्यकलापों के लिए ग्राहक से अंश का खर्च करने का प्रमाण ।

च) इस आशय का शपथपत्र कि भारतीय मानकों का अनुपालन करने के लिए ली गई अनुदान राशि का वास्तव में इस प्रयोजन से खर्च किया गया है ।

छ) समय समय पर-आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज़ ।

समयावधि :

i) यह योजना एमएसएमई के लिए अपनी अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष के लिए है ।

ii) यह योजना 2 वर्षों)अधितक) या योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मॉडलों की संख्या या योजना के उस विशेष क्षेत्र के आबंटित बजट उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए लागू होगी ।

iii) योजना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजट अंतर परिवर्तनीय नहीं हैं ।

iv) योजना की अवधि को आवश्यक अनुमोदनों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है ।

डॉ अजय कुमार , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

Subject: Scheme for supporting MSMEs in the electronics sector.

1. OBJECTIVE:

No. W-36/1/2013-IPHW.—The Scheme for supporting MSMEs in the electronics sector aims at providing financial support to MSMEs to promote manufacturing, to build quality into Indian manufacturing & also to encourage exporters. The support under the Scheme will be provided in the form of reimbursement to the manufacturers in the MSMEs. The scheme for providing financial support as Grant in Aid is expected to benefit the manufacturers, domestic industry, exporters in the electronics sector. The Scheme will provide GIA for the following activities:

(i) Reimbursement of expenses relating to compliance of electronic goods with "Indian Standards".

(ii) Reimbursement of expenses for testing and certification required for export.

(iii) Development of Electronic Manufacturing Clusters.

2. (i). Reimbursement of expenses relating to compliance with "Indian Standards":

Total Grant Available: The total GIA for one model is limited to Rs. 1 Lacs only. The Total GIA available under this section of the Scheme is Rs. 2 Crores for 200 models (max).

Purpose: Reimbursement of expenses relating to compliance of notified goods to Indian Standards notified by DeitY.

Eligibility : All the Micro, Small and Medium enterprises registered in India, as defined in the MSME Development Act are eligible under the Scheme.

Financial Support: The Scheme will provide the following incentives to MSMEs for complying to Indian Standards notified by DeitY.

a) Reimbursement of actual testing charges subject to the testing charges incurred for getting the products tested at STQC labs (for initial registration as well as during surveillance) as per prevailing rates of test charges levied by STQC labs. The maximum re-imbursement under the scheme would be limited to Rs.75000 (max).

b) Reimbursement of actual test charges received by BIS for Registration (Max. Rs. 25000/-).

c) The grant would be given to a manufacturer for maximum of five models.

Implementation: Proposals for Grant in Aid will be received directly by Department of Electronics and Information Technology (DeitY) in the prescribed format. The Grants would be granted based on submission of the following supporting documents:

a) Application in the DeitY prescribed format.

b) Receipt of payment of testing charges for getting the product/model tested from BIS approved labs.

c) Proof of successful Registration with BIS for the model for which GIA is being taken.

d) BIS Registration Certificate.

e) Affidavit that the grant taken for complying to the Indian Standards has actually been spent for the purpose.

f) Any other document as may be required from time to time.

2. (ii). Reimbursement of expenses for testing and certification required for export:

Total Grant Available: The total GIA under the Scheme for one model is Rs 1.25 Lacs (max). The Total GIA available under this section of Scheme is Rs. 20 Crores for 800 models (max).

Purpose: Reimbursement of expenses for testing and certification required for export.

Eligibility: All the Micro, Small and Medium enterprises registered in India, as defined in the MSME Development Act are eligible under the Scheme.

Financial Support: The Scheme will provide the following GIA to MSMEs to comply with the regulations/standards of the buying countries.

(a) Reimbursement of testing charges incurred for getting the products tested from any lab domestic/abroad subject to the testing charges incurred for getting the products tested at STQC labs as per prevailing rates of test charges levied by STQC labs The maximum re-imbursement under the scheme would be limited to Rs. 75000/- (max).

(b) Reimbursement of 25% charges towards the annual certification fee paid to any certification body (domestic/abroad) per model at actual, subject to :

- Rs. 50,000/-(max) for one model.
- Two certifications maximum.
- Each model would qualify only once under the scheme.

Implementation: Proposals for Grant in Aid will be received directly by Department of Electronics and Information Technology (DeitY) in the prescribed format. The Grants would be granted based on submission of the following supporting documents:

a) Application in the DeitY prescribed format.

b) Receipt of payment of testing.

c) Receipt of certification fee paid to Certification Body for the purpose of exports.

d) Proof of export of the model for which GIA is being taken.

e) Affidavit that the grant taken for complying to the Indian Standards has actually been spent for the purpose.

f) Any other document as may be required from time to time.

2. (iii). Development of Electronics Manufacturing Clusters by MSMEs :

Total Grant Available : The Total GIA available under this Section of the Scheme for Development of Clusters is Rs. 2 Crores. The GIA of Rs. 10 Lacs /Cluster (max) would be available for setting up of 20 Clusters.

Purpose: Reimbursement of expenses for diagnostic study, soft intervention and for preparing DPR etc.

Eligibility: The GIA will be provided to the local industry association or State Govt agency or Special Purpose Vehicle (SPV) for the purpose.

Financial Support: The following incentives will be provided to the Greenfield EMCs and Brownfield EMCs under Electronics Manufacturing Clusters (EMC) Scheme:

a) For a diagnostic study of each cluster - Rs 2.5 Lacs /cluster (max).

b) GoI grant for the soft interventions will be 75% of the sanctioned amount of the project cost in the DPR. The GIA would be subject to Rs 2.5 lacs/cluster (max).

c) For DPR- Rs. 5 Lacs /cluster (max).

Implementation:

a) Proposals for Grant in Aid will be received directly by Department of Electronics and Information Technology (DeitY) in the prescribed format.

b) All the proposals received for GIA will be placed before the Committee constituted by DeitY for examining such proposals under the EMC Scheme. Applicant organizations will make presentations before Committee, if necessary. The organizations will have to furnish information / documents as sought by the Committee. A steering Committee for the purpose would consider the applications and grant in-principal approval. The final report has to be submitted within six months of the in-principal approval.

c) 50% of amount sanctioned for the Diagnostic Study will be released after the in-principal approval and balance 50% will be released only after acceptance of report.

d) GoI grant for the soft interventions will be 75% of the sanctioned amount of the project cost. 50% of the GIA amount sanctioned in the DPR for soft interventions will be released after the in-principal approval and the balance 50% will be released only after final approval of the report subject to the criteria that they have incurred their share of expenditure. This may include soft interventions like Technical assistance, capacity building, exposure visits, market development, trust building, awareness, counseling, seminars, workshops, training programs on technology up gradation etc.

e) The Grants for the DPR would be granted based on the following criteria:

(i). 20% of GIA would be granted when the initial technically feasible and financially viable project report for setting up of a common facility centre for cluster (DPR) is found complete in all respects by the committee and is submitted for appraisal of the Steering Committee of DeitY.

(ii). 30 % of the GIA would be granted when in-principal approval is given by steering Committee for the cluster.

(iii). 50% of the GIA would be granted when the final approval is granted to the DPR within six months of the in-principal approval.

Documents Required:

a) Application in the DeitY prescribed format.

b) Copy of the in-principal approval of DPR.

c) Copy of final approval of DPR.

d) Bills for carrying out diagnostic study of each cluster, soft interventions like awareness, counseling, seminars, workshops, training programs on technology up gradation in a case of EMC Cluster and charges incurred for preparing DPR.

e) Proof of spending the share from the client for soft interventions.

f) Affidavit that the grant taken for complying to the Indian Standards has actually been spent for the purpose.

g) Any other document as may be required from time to time.

Time Period :

(i) The Scheme is for 2 years from the date of its notification for the MSMEs.

(ii). The Scheme would be applicable for 2 years (max) or no. of models proposed under the Scheme or till the allocated budget is available for that particular area of the Scheme , whichever is earlier.

(iii). The budget under various headings of the Scheme are not interchangeable.

(iv). The duration of the Scheme could be extended based on necessary approvals.

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.